

तारीख
हुक्म

अहकाम
हुक्म की
में जारी

11/11/2022

पंचायती पेश हुई। प्रार्थी वकील अल्लु।
चूंकि मुलवाद को अफा पैली अफा काफरी में
खारीज किया जा चुका है अब इन आतेदल
को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
अतः इन आतेदल की कार्यवाही शरी तार पर
मनाफ की जाती है।

पंचायती कैमल शुभार होकर जारील सतल को।
मुलवाद के संलग्न को 

